Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का अधिशासी अभियंता, सहायक लेखाधिकारी एवं उनका प्राईवेट सहायक 1 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार**

जयपुर, *14 नवम्बर, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.), जयपुर द्वारा आज अलवर में कार्यवाही करते हुये **जगन लाल मीणा अधिशासी अभियंता, सीताराम जाटव सहायक लेखाधिकारी एवं जयनारायण शर्मा प्राईवेट सहायक कार्यालय अधिशासी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर** को परिवादी से **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.), जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों के बकाया बिलों को पास करने की एवज में आरोपीगण जगन लाल मीणा अधिशासी अभियंता, सीताराम जाटव सहायक लेखाधिकारी एवं जयनारायण शर्मा प्राईवेट सहायक कार्यालय अधिशासी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर एवं अन्य द्वारा **1 लाख 20 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर–द्वितीय **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राहुल कोटोकी** के सुपरवीजन में एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.), जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप सारस्वत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सज्जन कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा अलवर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपीगण जगन लाल मीणा अधिशासी अभियंता को **50 हजार रुपये** एवं जयनारायण शर्मा प्राईवेट सहायक कार्यालय अधिशासी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर को परिवादी से **50 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामले में संलिप्तता के आधार पर आरोपी सीताराम जाटव सहायक लेखाधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में मांग सत्यापन के दौरान संदिग्ध **पवन जैन बी.सी.एम.ओ. अजय जोरवाल सहायक अभियंता एवं रामवतार प्राईवेट सहायक चि.एवं स्वा. विभाग, जिला दौसा** की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपीगण से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।